



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक – 05.01.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 283/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये तथा मु०अ०सं० 02/2025 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किए हुए 02 सिलेण्डर एच०पी० कम्पनी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 16.10.24 को थाना रमाला पर वादी दुर्गेशदत्त(प्रधानाध्यापक) पी०एम० श्री प्रा०वि०नं०, असारा ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा ऑफिस में रखा इन्वर्टर बैट्री व 01 गैस सिलेंडर चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना रमाला पर मु०अ०सं० 283/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 05.01.2025 को थाना रमाला पर वादी राशिद पुत्र फरजुद्दीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि 02 अभियुक्तों सद्दाम पुत्र उमरजान व इंतजार पुत्र मेहरबान निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा उसके घर 01 सिलेण्डर चोरी कर लिया गया है। जनता की मदद से वादी द्वारा दोनों अभियुक्तों को पकड़कर थाना रमाला पर लाया गया। थाना रमाला पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 02/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 283/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये तथा मु०अ०सं० 02/2025 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 सिलेण्डर एच०पी० कम्पनी बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.सद्धाम पुत्र उमरजान निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2.इंतजार पुत्र मेहरबान नि० ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 सिलेण्डर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-का० 963 प्रभात यादव थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 05.01.25

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध शराब तस्करी को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 148 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 मो०सा० हीरो ग्लेमर नं० DL-8SBL-9233 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बडागाँव मुबारिकपुर लिंक रोड से 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 148 पच्चे अवैध



देशी शराब हरियाणा मार्का व 01 मो0सा0 हीरो ग्लेमर नं0 DL-8SBL-9233 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक पुत्र उदेशपाल निवासी ग्राम विनयपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 148 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।
- 01 मो0सा0 हीरो ग्लेमर नं0 DL-8SBL-9233

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3. का0 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।